भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं०- 191A/2017-18

प्रसाद सिंह सरदार **बनाम** दुर्गा माझी

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
19.11.18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, गम्हरिया के पत्रांक 1147 दिनांक 13.06.2018 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 191A/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। विक्रेता प्रसाद सिंह सरदार, पिता स्व० शंकर सिंह सरदार, ग्राम–तिरला, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावां ने चिकित्सा हेतु क्रेता दुर्गा माझी पिता विरेन्द्र माझी, ग्राम–तिरला, टोला–महतानडीह, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
तिरला	11	91	402	0.56ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के दादा के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता पिता के मृत्यु पश्चात अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। जिसमें से 0.56 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.50 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जाति 'भूमिज' एवं 'संथाल', है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.56एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

(हस्ताक्षर) 19.11.18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner